>

Title: Need to grant the benefits of CCS Pension Rules 1972 to teachers of Jawahar Navodaya Vidyalayas appointed before the introduction of Central Provident Fund in 2004.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): देश में शिक्षा पर करोड़ों-अरबों रूपया सरकार द्वारा व्यय करने के पश्चात् भी शिक्षा का वर्तमान स्तर किसी से छिपा नहीं है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तेजी से निजी और बाजारू शक्तियों के हवाले हो रही है।

देश में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने नवोदय विद्यालय की शुरूआत की थी और झज्जर (हरियाणा) एवं अमरावती (महाराष्ट्र) में सर्वप्रथम नवोदय विद्यालय का शुभारंभ किया। स्व0 राजीव गांधी की सोच के अनुसार नवोदय विद्यालय ने देश में प्रगति की है।

यह दुख की बात हे कि वर्ष 2004 के पूर्व इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को पेंशन से वंचित रखकर उन्हें केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल प्राविडेंट फंड की सुविधा दी गई है। ज्ञातव्य रहे कि वर्ष 2004 के पश्चात् केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन सुविधा समाप्त कर उन्हें सेंट्रल प्रोविडंट फंड की सुविधा प्रदान की गई है।

इस संबंध में नवोदय विद्यालयों में वर्ष 2004 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों द्वारा पेंशन हेतु उठाई जा रही मांग सर्वथा उचित है। ऐसी दशा में नवोदय विद्यालय में 2004 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों द्वारा पेंशन हेतु उठाई जा रही मांग सर्वथा उचित है। ऐसी दशा में नवोदय विद्यालय में 2004 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति पेंशन दिया जाना समीचीन होगा।

अतः मेरी मांग है कि सरकार अविलंब नवोदय विद्यालयों में वर्ष 2004 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए सेंट्रल प्रोविडंट फंड की सुविधा समाप्त कर उन्हें पेंशन सुविधा दिए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए।